**संख्या:33/2026/509/35-4-2026/35-4002(003)/46/2026**

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कुशीनगर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 29 मार्च, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद- कुशीनगर में निम्नलिखित कार्यों की रू. **5039.84** लाख (रूपये पचास करोड उनतालिस लाख चौरासी हजार मात्र जी0एस0टी0 सहित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. **2422.00** लाख (रूपये चौबीस करोड बाईस लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों के लिये ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग कार्यदायी संस्था होगी:-

(लाख रू. में)

| **क्र0** | **कार्य का नाम** | **लम्बाई (किमी0)** | **अनुमोदित लागत** | **अवमुक्त धनराशि** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ग्राम सभा पाण्डेय बरदहा में सी0सी0रोड से जोगिया सोमाली पट्टी पिच मार्ग के तरफ जाने वाले मार्ग पर पिच रोड का निर्माण कार्य। | 1.10 | 84.39 | 41 |
| 2 | ग्राम सभा बेलवा कारखाना में धनहां पिच मार्ग से स्टेडियम होते हुए बकुलहर कला जाने वाली मार्ग पर पिच रोड का निर्माण कार्य। | 0.93 | 70.04 | 34 |
| 3 | सीताराम चैराहे पर गौरी श्रीराम जाने वाले सम्पर्क मार्ग से बरवां खास पंचायत भवन होते हुए हरदेव गुप्ता के घोठ्ठा के तरफ जाने वाले मार्ग पर पिच रोड का निर्माण कार्य। | 0.57 | 39.25 | 19 |
| 4 | ग्राम सभा भेलया से रणजीत गिरि के खेत से अतरडीहा जाने वाले मार्ग पर पिच रोड का निर्माण कार्य। | 0.80 | 59.71 | 29 |
| 5 | ग्राम सभा देवरिया वृत्त में शारदा पाण्डेय के घर से अमरवा खुर्द के तरफ जाने वाले मार्ग पर पिच रोड का निर्माण कार्य। | 0.97 | 94.6 | 45 |
| 6 | ग्राम गुरवलिया शर्मा टोला में रमाकान्त शर्मा के खेत से शारदा यादव के घर के तरफ जाने वाले मार्ग पर पिच रोड का निर्माण कार्य। | 0.66 | 58.1 | 28 |
| 7 | समउर पड़रौना मार्ग से पुरानी बाजार करमैनी से ग्राम | 1.09 | 91.96 | 44 |

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | सभा ज्वार जाने वाली मार्ग का पिच रोड का निर्माण कार्य। | | | |
| 8 | विकास खण्ड पड़रौना के ग्राम सभा जं0 हनुमानगंज कटनवार से शाहपुर अमवा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। | 0.52 | 33.84 | 16 |
| 9 | विकास खण्ड पड़रौना के भिसवा लाला के मठिया बस्ती में भोले बाबा के खेत के पास पुलिया से रतन गुप्ता के घर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। | 0.53 | 33.07 | 16 |
| 10 | पड़रौना पनियहवा एन0एच028बी से जंगल चैरिया के नौका टोला तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। | 0.70 | 44.68 | 21 |
| 11 | न0पा0प0 पड़रौना के जंगल बेलवा में नगरीय स्वास्थ केन्द्र से नुनिया पट्टी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। | 0.65 | 41.61 | 20 |
| 12 | विकास खण्ड विशुनपुरा के ग्राम सभा जरार में दशरथ कुशवाहा के घर से जटहा मंगनी मास्टर के घर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। | 0.55 | 35.87 | 17 |
| 13 | विकास खण्ड विशुनपुरा के ग्राम सभा चैती टोला विशुनपुरा खुर्द में शिव प्रताप मद्वेशिया के घर से तिवारी टोला तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। | 0.50 | 32.77 | 16 |
| 14 | पड़रौना स्वामी विवेकानन्द नगर में लोहिया कालोनी के आन्तरिक गलियारों का सम्पर्क मार्ग व नाली का निर्माण कार्य। | 0.55 | 53.16 | 26 |
| 15 | विकास खण्ड विशुनपुरा के पटेहरा बुजुर्ग में राम प्रसाद के घर से महन्थ कुशवाहा के बसवाड़ी पिच रोड तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। | 0.58 | 34.37 | 16 |
| 16 | मटियरवा में प्राथमिक स्कूल से लेकर रघुवर कुशवाहा के घर होते हुए जू0हाईस्कूल तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। | 0.50 | 35.79 | 17 |
| 17 | विकास खण्ड विशुनपुरा के चिरवईया अनुसूचित बस्ती से विहार जोड़ने वाली बासी नदी पर 2×5 मी0 स्पान पुलिया का निर्माण कार्य। | - | 24.81 | 12 |
| 18 | विकास खण्ड विशुनपुरा के ग्राम सभा एकवनाही उर्फ भागवतपुर के बेलाहवा टोला से लूकपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। | 0.50 | 32.84 | 16 |
| 19 | विकास खण्ड पड़रौना के ग्राम सभा भांगड़ा पिपरासी के मुसहरी पट्टी में पैगम्बर अंसारी के घर से अनुसूचित बस्ती होते हुए खनवार मुख्य मार्ग तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। | 0.70 | 43.45 | 21 |
| 20 | विकास खण्ड पड़रौना के ग्राम सभा कठकुईया के मठिया चैराहा हरिजन बस्ती में सिंघासन के घर से अधिकारी टोला तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। | 0.50 | 55.2 | 26 |

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | ग्रामसभा कुसुम्हा में नहर पुल से वेलहिया टोला की तरफ इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य। | 0.5 | 30.96 | 15 |
| 22 | ग्रामसभा महुअवा धनहा में पिच रोड से बगरा देउर मेन गेट की तरफ पिच रोड का निर्माण कार्य। | 1.00 | 69.87 | 34 |
| 23 | ग्रामसभा रामपुर बुजुर्ग में मेन पिच रोड से धूप सिंह की घर के तरफ इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य। | 0.50 | 30.84 | 15 |
| 24 | ग्रामसभा रामपुर सोहरौना में रामदीन के घर से देवरिया सिवान की तरफ इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य। | 0.70 | 44.61 | 21 |
| 25 | ग्रामसभा चंदरपुर पोखरभिंडा में मेन पिच अनिल के खेत से अम्बेडकर पार्क होते हुए भगवानपुर टोला की तरफ पिच रोड का निर्माण कार्य। | 1.35 | 111.49 | 54 |
| 26 | ग्रामसभा बलुआ में मेन पिच केदार के खेत से पौहारी धोबी के घर की तरफ इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य। | 0.50 | 32.15 | 15 |
| 27 | ग्रामसभा लेहनी-2 में रामअवध सिंह के घर से बच्चा सिंह के घर होते हुए ज्ञानी शर्मा के घर की तरफ इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य। | 0.50 | 30.84 | 15 |
| 28 | ग्रामसभा डुमरी मलाव में केवटान टोला पर मेन पिच जीतन निषाद के खेत से आगे पुलिया की तरफ इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य। | 0.51 | 31.4 | 15 |
| 29 | ग्रामसभा पड़री लिलही कोठी में गोपालपुर सिवान पिच रोड से जय सिंह के घर की तरफ इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य। | 0.50 | 32.33 | 16 |
| 30 | ग्रामसभा भगवानपुर भरवलिया में प्राथमिक विद्यालय से भैरो जी स्थान की तरफ इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य। | 0.50 | 31.75 | 15 |
| 31 | ग्रामसभा रानिकाफ में नहर पिच इण्टरलाकिंग से केशव मिश्रा के घर होते हुए अनुसूचित बस्ती की तरफ इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य। | 0.50 | 30.89 | 15 |
| 32 | ग्रामसभा पड़री शेखवनिया में राकेश मद्वेशिया के घर से गौरा प्राथमिक विद्यालय तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य। | 0.50 | 30.85 | 15 |
| 33 | विकास खण्ड तमकुहीराज के ग्राम सभा बलुआ शमशेर शाही से बिहार बुजुर्ग होते हुए रजवटिया मेन सड़क का निर्माण कार्य। | 1.00 | 66.82 | 32 |
| 34 | विकास खण्ड दुदही के कृषि विज्ञान केन्द्र सरगटिया करन पट्टी में सड़क का निर्माण कार्य। | 0.90 | 63.54 | 30 |
| 35 | विकास खण्ड सेवरही के ग्राम सभा बहादूरपुर में पूरब टोला से नेशनल हाइवें तक सड़क का निर्माण कार्य। | 1.0 | 60.99 | 29 |
| 36 | विकास खण्ड तमकुहीराज के ग्राम सभा हरदिया हाता से नारायणपुर सम्पर्क मार्ग तक सड़क का निर्माण कार्य। | 0.50 | 36.93 | 18 |

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 37 | विकास खण्ड सेवरही के ग्राम सभा झड़वा में प्राथमिक विद्यालय से मुरली ठाकुर के घर तक सड़क का निर्माण कार्य। | 0.65 | 47.32 | 23 |
| 38 | विकास खण्ड दुदही के ग्राम सभा रामपुर बरहन में नारायणपुर सम्पर्क मार्ग तक सड़क का निर्माण कार्य। | 1.50 | 144.02 | 69 |
| 39 | विकास खण्ड सेवरही के डोमाठ सेवरही सम्पर्क मार्ग से ग्राम सभा जगदीशपुर में सड़क का निर्माण कार्य। | 0.50 | 36.81 | 18 |
| 40 | विकास खण्ड सेवरही के दनियाड़ी गौरहा सम्पर्क मार्ग से पिपरा मिश्र तक सड़क का निर्माण कार्य। | 0.50 | 37 | 18 |
| 41 | विकास खण्ड विशुनपुरा में पकड़ीयार नौगाहवा में सुरेन्द्र के घर से नहर की पटरी होते हुए नौगाहवा पुल तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। | 0.50 | 36.85 | 18 |
| 42 | पड़रौना में गायत्री मंदिर से बलुचहा पुल तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। | 1.45 | 137.08 | 66 |
| 43 | पूर्नहां बुजुर्ग चैराहा से घर छपरा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। | 1.80 | 152.35 | 73 |
| 44 | रामकोला रोड से चंदरपुर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। | 0.50 | 36.67 | 18 |
| 45 | खेसिया में केदार चैहान के घर से पोखरा टोला तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य । | 1.55 | 136.78 | 66 |
| 46 | विकास खण्ड खड्डा के ग्राम सभा मठिया बुजुर्ग में पिच रोड से नवल छपरा में नहर पिच रोड तक पिच रोड निर्माण कार्य। | 1.00 | 94.16 | 45 |
| 47 | विकास खण्ड नेबुआ नौरंगिया के ग्राम सभा नौरंगिया में विशुनपुरा कोटवा मार्ग के प्राथमिक विद्यालय पकड़ीयहवा से एन0एच0-28 बी से लक्ष्मीपुर पिच मार्ग तक पिच रोड निर्माण कार्य। | 1.00 | 93.02 | 45 |
| 48 | विकास खण्ड पड़रौना के ग्राम सभा बडागॉव में बेलवानिया चैराहा कुबेरस्थान -पड़रौना पिच मार्ग से बेलवानिया बडागॉव पिच मार्ग तक पिच रोड निर्माण कार्य। | 1.00 | 72.37 | 35 |
| 49 | विकास खण्ड रामकोला के ग्राम सभा खोटही टोला काशी छपरा में प्रेमसागर उपाध्याय के खेत व पिच मार्ग से प्राथमिक काशी छपरा तक पिच रोड का निर्माण कार्य। | 0.80 | 58.68 | 28 |
| 50 | विकास खण्ड नेबुआ नौरंगिया के ग्राम सभा पड़री मेहदिया के छोटी मेहंदिया में जवाहिर के खेत से धोबीघाट सार्वजनिक पोखरे तक आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य। | 0.40 | 77.61 | 37 |
| 51 | विकास खण्ड सुकरौली के पड़री गौरा रतनपुर माइनर से देवरिया सिवान तक पिच निर्माण कार्य। | 0.54 | 41.17 | 20 |
| 52 | पड़रौना दिवानी न्यायालय में अधिवक्ता कक्ष का निर्माण | 1 अदद | 41.57 | 20 |

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | कार्य। | | | |
| 53 | कसया तहसील न्यायालय में अधिवक्ता कक्ष का निर्माण कार्य। | 1 अदद | 29.12 | 14 |
| 54 | ग्राम सभा सिसवा गोपाल में किशोर चैहान के घर से प्रभुनाथ चैहान के घर जाने वाले सम्पर्क मार्ग का पिच रोड निर्माण कार्य। | 1.80 | 168.95 | 81 |
| 55 | विकास खण्ड नेबुआ नौरंगिया के ग्राम सभा सेखुई नहर पुल से गुलाब शर्मा के घर जाने वाले सम्पर्क मार्ग का पिच रोड निर्माण कार्य | 1.30 | 93.63 | 45 |
| 56 | विकास खण्ड नेबुआ नौरंगिया पकड़ियार बाजार से पकड़ियार रामकोला रोड तक पिच रोड का निर्माण कार्य। | 1.40 | 100.45 | 48 |
| 57 | ग्राम सभा रामपुर खुर्द के टोला भरपटिया में काली मंदिर से रामजीत गोड़ के घर से जाने वाले सम्पर्क मार्ग का पिच रोड निर्माण कार्य। | 0.85 | 78.52 | 38 |
| 58 | ग्राम सभा पिपरा बुजुर्ग में मिश्रौली टोला सम्पर्क मार्ग का पिच रोड निर्माण कार्य। | 0.60 | 56.69 | 27 |
| 59 | विकास खण्ड विशुनुपरा के ग्राम सभा पटेरा खुर्द में मेन सड़क से बाबा टोला तक सम्पर्क रोड का निर्माण कार्य | 0.65 | 40.17 | 19 |
| 60 | ग्राम सभा कछुईया जुनेबी में प्राथमिक पाटशाला से छठ घाट जाने वाले मार्ग पर पिच रोड का निर्माण कार्य। | 0.50 | 42.44 | 20 |
| 61 | कसया नहर बाईपास रोड से राजघराना तक पिच रोड का निर्माण कार्य। | 1.10 | 80.79 | 39 |
| 62 | ग्राम सभा पिपरा सुजान में सर्वजीत के खेत से महारानी जाने वाले मार्ग पर पिच रोड का निर्माण कार्य। | 1.60 | 112.37 | 54 |
| 63 | ग्राम सभा पिपरी हेड नहर से रमेश सिंह के दुकान के तरफ से जाने वाले मार्ग पर पिच रोड का निर्माण कार्य। | 1.80 | 158.49 | 76 |
| 64 | ग्राम सभा अन्हारीबारी में पिच रोड से सिंघन जोड़ी तक पिच रोड का निर्माण कार्य। | 1.30 | 119.42 | 57 |
| 65 | विकास खण्ड मोतीचक के ग्राम सभा बरठा टोला खोडहा से बेलवनिया के तरफ जाने वाले मार्ग पर इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य। | 0.70 | 50.49 | 24 |
| 66 | विकास खण्ड कप्तानगंज में ग्राम सभा औराही कृतपुरा में मल टोला के मुख्य मार्ग में रवि प्रताप सिंह के घर से राजी टोला तक इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य। | 0.60 | 41.56 | 20 |
| 67 | विकास खण्ड रामकोला ग्राम पगार में मेन पिच रोड कप्तानगंज -नौरंगिया मार्ग से पूरब मठिया बरघाट तक इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य। | 0.80 | 56.46 | 27 |
| 68 | विकास खण्ड रामकोला के ग्राम रामपुर बगहा टोला करमहा तकिया से साहबगंज जाने वालें मार्ग पर इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य। | 0.50 | 36.68 | 18 |

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 69 | विकास खण्ड रामकोला के ग्राम खोटही बाजार टोला मेन पिच मार्ग से घोसीपुर जाने वाले मार्ग पर इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य। | 0.50 | 35.04 | 17 |
| 70 | विकास खण्ड कप्तानगंज के ग्राम पचार में कोइरी टोला पुल से कोआपरेटिव गोदाम होते हुए राजकुमार के घर की ओर इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य। | 0.60 | 41.46 | 20 |
| 71 | विकास खण्ड कप्तानगंज के ग्राम बसहिय उर्फ कप्तानगंज टोला बभनौली में पुरानी इण्टरलाकिंग से कमुल्लाह के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य। | 0.50 | 45.57 | 22 |
| 72 | विकास खण्ड रामकोला के ग्राम लाला छपरा में दुबे टोला से पहले लक्ष्मीगंज पकड़ियार मार्ग को जोड़ने वाले रास्ते पर इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य। | 0.60 | 43.34 | 21 |
| 73 | विकास खण्ड कप्तानगंज में कप्तानगंज- बोदरवार मार्ग से चकिया भट्ठा के सामने से बडहरा- बोदरवार मार्ग तक इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य। | 0.60 | 41.6 | 20 |
| 74 | विकास खण्ड कप्तानगंज में ग्राम सभा पचार में विनोद शर्मा के स्कूल से ग्राम सभा राजमंदिर को जोड़ने वाले रास्ते में इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य। | 0.55 | 38.22 | 18 |
| 75 | विकास खण्ड कप्तानगंज में ग्राम सभा बरवा कोटवा में सुदर्शन सिंह के खेत से काली मंदिर तक इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य। | 0.70 | 48.05 | 23 |
| 76 | चखनी खास से कोडरा टोला सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। | 2.50 | 240.85 | 116 |
| 77 | ग्राम -भड़सरा में तरूवनवा बारी टोला से लेकर पोखरभिण्डा तक पिच रोड का निर्माण कार्य। | 2.80 | 260.25 | 125 |
| | **योग:** | **62.4** | **5039.84** | **2422** |

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
2. प्रदेश की राजकीय कार्यदायी संस्थाओं को सेंटेज चार्ज वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-7/10-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मार्च, 2023 के अनुसार देय होगा। योजनान्तर्गत कंटीजेंसी अनुमन्य नहीं है।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।
4. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

5. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनाँक 22 मार्च, 2021 के अनुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षण आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
6. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17 (4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।
7. समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
8. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराया जाय। प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट/स्टील/ग्रिट/मोरम इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं0-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. परियोजना की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना हेतु जनपद स्तर पर कार्यकारी आदेश निर्गत करने जिसे पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
10. कार्य का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्य के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे मार्ग की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
11. कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा सी०एम०आई०एस० पोर्टल पर जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
12. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
13. त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर, 2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार किये जायेंगे।
15. ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या-1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
16. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनश्चित किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

17. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
18. अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
19. परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
20. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
21. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2026 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
22. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
23. कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।
24. जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।
25. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।
26. यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
27. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
28. कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।
29. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की द्वितीय किश्त हेतु निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए जनपद/कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की वास्तविक लागत के अनुसार मांग की जायेगी। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।
30. प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।

31. प्रश्नगत कार्य के लिये नियमानुसार लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।
32. नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या: 60/2025/440/35-4-2025/35-4099/184/2023 (पार्ट-1) दिनांक 22 अप्रैल, 2025 में निहित व्यवस्था के अंतर्गत सीएमआईएस पोर्टल पर जियोटैगिंग के साथ पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में उपर्युक्त तालिका के क्रमांक-52 एवं 53 पर होने वाला व्यय रू. 34,00,000/-(रूपये चौंतीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक 4059608000303-**अधिवक्ताओं के चेम्बरर्स/ पुस्तकालय/बार काउन्सिल भवन/ तहसील स्तर पर अधिवक्ता/वादकारी के लिये स्थायी ढांचे के निर्माण के लिये एकमुश्त व्यवस्था** मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य तथा शेष कार्यों पर होने वाला व्यय रू. 23,88,00,000/-( रूपये तेईस करोड अट्ठासी लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक 5054043370301-**ग्रामीण क्षेत्रों में नई सड़कों के लिये लिये एकमुश्त व्यवस्था मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

**संख्या:33/2026/509(1)/35-4-2026/35-4002(003)/46/2026 तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग/नगर विकास /पंचायती राज विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, गोरखपुर।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, कुशीनगर।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कुशीनगर।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक,स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन,नियोजन विभाग।
14- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कुशीनगर।
15- सम्बन्धित अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, कुशीनगर।
16- गार्ड फाईल।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।